राजस्थान–सरकार

निदेशालय,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

'बीमा भवन' जयसिंह हाईवे,बनीपार्क,जयपुर।

क्रमांक एफ.58/कम्प/यूजर मैनेजमेंट/2011/ दिनांकः 20.09.2013

निर्देश

(यूजर आईडी/पासवर्ड के संबंध में)

राज्य कर्मचारियों के कल्याणार्थ इस विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को पूर्ण रूपेण कम्प्यूटरीकृत किये जाने हेतु एक वेबबेस्ड सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया है। उक्त एसआईपीएफ पोर्टल में सभी राज्य कर्मचारियों का मास्टर डाटा तैयार किया गया है तथा प्रावधायी निधि योजना के खातों में दिनांक 1.4.2012 तक का प्रारंभिक शेष अपलोड करते हुये इसके पश्चात आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन शिडयूल सबमिशन एवं इस विभाग द्वारा अप्रूव किये जा रहे है जिससे खातेदारों के लेजर्स में ऑनलाईन कटौतियों का इन्द्राज हो रहा है। राज्य बीमा योजना में बीमेदारों के दिनांक 1.4.2012 तक के समस्त बीमानुबन्ध जारी करते हुये पॉलिसियों को पोर्टल पर पुश कराया जा रहा है। इसी प्रकार अन्य योजनाओं का कम्प्यूटराईजेशन कार्य भी प्रगति पर है।

राज्य कर्मचारियों के खातों को पूर्ण किये जाने बाबत राज्य सरकार के निर्देशानुसार विभाग में नवम्बर, 2011 से एक कार्य योजना चलाई हुई है जिसमें राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि योजना दोनों योजनाओं में प्रथम कटौती से मार्च, 2012 तक का कार्य पूर्ण किया जाना तय किया गया था जिसमें लगभग 90 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण हो चुका है। वित्त विभाग के निर्देशानुसार विभाग द्वारा सम्पादित किये गये कार्यो का समस्त राज्य कर्मचारियों द्वारा अवलोकन करने एवं एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाईन एप्लीकेशन प्रस्तुत किये जाने के उद्देश्य से **ट्रायल बेसिस** पर शीघ्र ही सभी राज्य कर्मचारियों को यूजर आईडी एवं पासवर्ड जारी किये जा रहे हैं।

राज्य कर्मचारियों को यूजर आईडी पासवर्ड दिये जाने के कार्य की टेस्टिंग के उद्देश्य से **प्रथम चरण** में जिला कार्यालय भीलवाडा, दौसा, जोधपुर ग्रामीण, कोटा, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सचिवालय तथा गंगानगर इन आठ जिलों के समस्त कर्मचारियों को यूजर आईडी एवं पासवर्ड की सुविधा दिनांक 23.9.2013 से उपलब्ध कराई जा रही है। **द्वितीय चरण** में जिला कार्यालय ब्यावर, बीकानेर, जोधपुर शहर, चित्तोडगढ, बूंदी, जयपुर शहर, झुन्झुनु तथा धौलपुर एवं **तृतीय चरण** में शेष जिला कार्यालयों के समस्त राज्य कर्मचारियों को यूजर आईडी/पासवर्ड जारी किया जायेगा। आईडी/पासवर्ड के परिचालन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

राज्य कर्मचारियों के लिये अनुदेश

1. सर्व प्रथम एसआईपीएफ पोर्टल हेतु www.sipfportal.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करे।
2. एसआईपीएफ पोर्टल में लॉगिन के लिये इस विभाग द्वारा जारी **एम्प्लॉई आईडी** एन्टर करें।
3. **पासवर्ड** के रूप में पहली बार जन्म तिथि को एन्टर करे। यह एक ही अंकों की संख्या होगी जैसे किसी की जन्म तिथि, 1 जुलाई, 1955 है तो पासवर्ड 01071955 होगा।
4. पासवर्ड एन्टर करते ही **एक स्क्रीन** प्रकट होगी जिसमें आपको **पासवर्ड बदलने** की सुविधा दी गई है। पासवर्ड बदला जाना अनिवार्य है। उक्त स्क्रीन में आप अपना नया पासवर्ड एन्टर करे।
5. राज्य कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपना पासवर्ड किसी भी सूरत में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा नहीं करें अन्यथा इस स्थिति में राज्य कर्मचारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

6 यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते है तो पासवर्ड पुनः रीसेट करने हेतु राज्य कर्मचारी इस विभाग के सम्बन्धित स्थानीय जिला कार्यालय से सम्पर्क करें।

7 आप अपनी एम्पलाई आईडी जानने के लिये एसआईपीएफ की वेबसाईट के एम्प्लोई कॉर्नर में ट्रेस योवर एम्प्लोई आईडी का उपयोग कर जानकारी प्राप्त कर सकते है अथवा सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी /स्थानीय जिला कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते है।

8 एसआईपीएफ पोर्टल में कार्य करने में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर निम्न टोल फ्री नम्बर 1800 180 6268 पर हैल्प लाईन से कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है। हैल्प डेस्क पर ई–मेल भी किया जा सकता है। .विभाग की हैल्प डेस्क का ई–मेल एडेस helpdesk.sipf@rajasthan.gov.in है तथा विभाग के सिस्टम अनुभाग मुख्यालय, योजना प्रभारी अधिकारी मुख्यालय तथा विभाग के जिला / सम्भागीय कार्यालयों के दूरभाष/मोबाईल नम्बर पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

9. एसआईपीएफ पोर्टल में प्रारंभ में निम्न एक्सेस उपलब्ध कराए गये हैं :–

1. **एम्प्लॉई मॉडयूल** से एम्प्लॉई मास्टर डाटा,
2. **पीएफ माडॅयूल** से दिनांक 1.4.2012 तक का ऑपनिंग बैलेंस तथा इसके पश्चात ऑनलाईन प्राप्त शिडयूल्स के आधार पर तैयार (कटौतियों के विवरण) देखने की सुविधा। अर्थात इन्डीविजूअल लेजर।
3. **राज्य बीमा मॉडयूल** से इन्डीविजूअल लेजर II जिसमें बीमेदार के पॉलिसी पर जारी समस्त बीमानुबन्ध एवं प्रीमियम राशियां, बीमा धन तथा समस्त प्रकार के बोनस।
4. **ट्राजिशन मॉडयूल** से पॉलिसी डिटेल।
5. निकट भविष्य में आपको निम्न सुविधाएं और प्रदान की जायेगी :–

- जीपीएफ में अंतिम आहरण अस्थाई आहरण के प्रार्थना पत्र एवं अंतिम भुगतान के दावा–पत्र को ऑनलाईन प्रस्तुत करने की सुविधा।
- राज्य बीमा में ऋण प्रार्थना–पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करना। (संभावित तिथि 1.11.2013)
- राज्य बीमा में परिपक्वत्ता/अध्यपर्ण/मृत्यु स्वत्व के दावा–पत्र प्रस्तुत करना। (संभावित तिथि 1.11.2013)

10. **पोर्टल में एम्प्लाई मास्टर में जिन सूचनाओं को एन्टर किया गया है, वे सभी, राज्य कर्मचारियों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी**। इन सूचनाओं में किसी भी प्रकार के संशोधन/परिवर्तन के लिये सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को एडिट करने की सुविधा प्रदान की गई है अतः एम्प्लॉई मास्टर डेटा में किसी भी प्रकार की सूचना एन्टर करने या एडिट करने की आवश्यकता हो तो, कृपया अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी से सम्पर्क करे।

11. जीपीएफ योजना में कर्मचारी की प्रथम कटौती से दिनांक 31.3.2012 तक की कटौतियों को कन्सोलिडेटेड करते हुए दिनांक 1.4.2012 को खाते में उपलब्ध प्रारंभिक शेष अपलोड किया गया है, इसके पश्चात ऑनलाईन प्राप्त कटौती पत्रों के अनुमोदन के पश्चात मासिक कटौतियॉ पोर्टल पर दिखाई जा रही है। **पोर्टल पर दिखाई जा रही प्रारंभिक शेष राशि/कटौतियॉ पूर्णतः प्रोविजनल है**। अतः इसके संबंध में किसी भी प्रकार के संशोधन/परिवर्धन/अधिक जानकारी हेतु राज्य कर्मचारी जरिये ई–मेल/व्यक्तिशः विभाग के स्थानीय जिला कार्यालय में सम्पर्क करे।

12. राज्य बीमा मॉडयूल में बीमेदार के प्रथम कटौती से दिनांक 1.4.2012 तक के समस्त समाश्वासन जारी होने के पश्चात पॉलिसियों को पुश किया गया है फिर भी प्रदर्शित सूचना में किसी प्रकार की त्रुटि हो या प्रीमियम/बीमानुबन्ध/बीमा धन आदि में किसी प्रकार के संशोधन/परिवर्धन/अधिक जानकारी हेतु राज्य कर्मचारी जरिये ई–मेल/व्यक्तिशः विभाग के स्थानीय जिला कार्यालय में सम्पर्क करे।

13. पोर्टल में प्रदर्शित हो रही सूचनाएं विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड, सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त विवरण यथा जीए 55, जीपीएफ पास बुक, बीमा रिकार्ड आदि दस्तावेजों के आधार पर उपलब्ध कराये गये हैं। **पोर्टल में दर्शाये गये डेटा से विभाग पर किसी भी प्रकार का दायित्व उत्पन्न नहीं होता यह केवल राज्य कर्मचारियों के हित में उन्हें सूचनाएं अधिकाधिक देने के प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराये जा रहे हैं।** किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में विभाग में संधारित रिकार्ड को ही किसी दावे के निस्तारण के लिये अंतिम आधार माना जावेगा।

14. **यदि पोर्टल में उपलब्ध कराई गई जानकारी/सूचनाओं से आप असहमत है तो प्रमाणित रिकार्ड के साथ संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी/विभाग के स्थानीय जिला कार्यालय से सम्पर्क करे।**

15. कुछ राज्य कर्मियों के द्वारा स्थानान्तरण अथवा नई सेवा में आने के कारण अथवा दो–तीन प्रारूप मास्टर डाटा के लिए प्रस्तुत कर देने के कारण एक ही कर्मचारी की एक से अधिक एम्प्लाई आईडी भी हो सकती है। ऐसे राज्यकर्मी तत्काल अपने आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से डुप्लीकेट एम्प्लाई आईडी की जानकारी स्थानीय एसआईपीएफ कार्यालय को उपलब्ध कराये और सुनिश्चित कर ले कि उनकी डुप्लीकेट आईडी पोर्टल से हटा दी गई है किसी भी स्थिति में दो एम्पलाई आईडी का एक ही कर्मचारी के द्वारा उपयोग नहीं किया जावे अन्यथा उसकी जीपीएफ एवं राज्य बीमा की कटौतियॉ भिन्न–भिन्न एम्लाई आईडी में आने के कारण ऑपनिंग बैलेंस एवं बीमा धन की राशि में अंतर आने की संभावना रहेगी।